न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।

J.O.Code–UP 2735

UPBH010030692026

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–250/12/2026

सुरेश–––बनाम –––हैदर अली आदि।

अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना मटेरा, जनपद बहराइच।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का निस्तारण

06.08.2026

पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन० एस० एस० नियत है। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी सुरेश द्वारा प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस० एस० मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अ–3 में कथन है कि प्रार्थी का लड़का अमरजीत उम्र 14 वर्ष पुत्र सुरेश कुमार निवासी समोखन शंकरपुर धनौली हाइवे रोड थाना मटेरा, जनपद बहराइच अनुसूचित जाति का है। प्रार्थी अपने घर में सो रहा था तथा मेरा लड़का अमरजीत भी बगल में सो रहा था। दिनांक 03. 05.2026 को लगभग रात्रि 01:00 बजे विपक्षी चोर हैदर अली पुत्र गफ्फार व अन्नू पुत्र अकबर निवासी धनौली दा० समोखन थाना मटेरा, जनपद बहराइच मेरा घर सूनसान पाकर घर में घुस आया और बक्से में रखा 5000/–रूपये नगद व सोने की कील 5 ग्राम मंगल सूत्र 5 ग्राम चुराया और फ्रीजर घर से बाहर निकाल रहे थे तब प्रार्थी की आँख खुली तो उसी समय प्रार्थी के लड़के अमरजीत का मुँह साध कर बगल में पण्डित की बाग में ले जाकर गला दबाकर सर पर धारदार से मारकर बेहोश कर दिया तब वे लोग साथ में मेरी पत्नी पूनम अपने लड़के को खोजने लगे तब पण्डित के बाग में सुबह लगभग 05:00 बजे मेरा लड़का बेहोश मिला तब लड़के की गम्भीर हालत देखकर डायल–112 नम्बर पर फोन किया तब डायल–112 नम्बर के सिपाही आये। चूंकि लड़का ज्यादा चोट खाया था तो उसका इलाज ले जाकर रिसिया में कराया तब लड़के ने सारी घटना जो उसके साथ हुई थी मुझे बताया है, जिसकी सूचना प्रार्थी ने तहरीर देकर थाना मटेरा में दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न मुल्जिम पकड़े गये मुझे हैदर अली व अन्नू मुल्जिमान ने भद्दी–भद्दी गालियां दिया और जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि कहीं जाओगे तो जान से मार देंगे तथा प्रार्थी को जातिसूचक हरिजन उपजाति धोबी की गालिया दी। प्रार्थी के चोटहिल

पुत्र की मेडिकल कराया जाना अति आवश्यक है। थाना हाजा के दरोगा शुभनाथ यादव प्रार्थी से मु0 20,000/– रूपये की मांग कर रहे है और कहते है कि पैसा दोगे तभी तुम्हारा मुकदमा लिखा जायेगा और ऊपर से सुलह करने का दबाव बना रहे है। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी ने दिनांक 03.05.2026 को थाना स्थानीय पर दस्ती प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 04.05.2026, 05.05.2026 व 06.05.2026 को दस्ती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक बहराइच को दिया तथा दिनांक 06.05.2026 को पुलिस अधीक्षक बहराइच को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया परन्तु न तो प्रार्थी के लड़के का मेडिकल कराया गया और न ही प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज की गयी जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिसिया के डाक्टर द्वारा प्रार्थी के लड़के को दिनांक 03.05.2026 को गम्भीर चोट होने के कारण जिला चिकित्सालय बहराइच रेफर किया गया था परन्तु पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, प्रभारी निरीक्षक थाना मटेरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक बहराइच को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, जिलाधिकारी बहराइच को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मेडिकल प्रपत्र की छायाप्रति व डाक रसीद दाखिल किया गया है।

थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्यानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के जरिए किसी साक्ष्य को एकत्र किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक विपक्षीगण को भली–भांति जानता व पहचानता है एवं समस्त तथ्य आवेदक के संज्ञान में है। ऐसी स्थिति में ***माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद*** द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2007 (59) ए०सी०सी० 739*** के आलोक में प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करवाकर मामले को परिवाद के रूप में सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान आवेदक अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियत की जाती है। वास्ते बयान आवेदक दिनांक 18.09.2026 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांक 06.08.2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट), बहराइच।